सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-388/2022 दिनांक- 22-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-अहरौला

थानाक्षेत्र अहरौला में युवती के हत्याकांड से सम्बन्धित वांछित 06 अभियुक्त (महिला/पुरूष) गिरफ्तार

पूर्व की घटनाः-

➡ दिनांक-15.11.2022 को सुचना मिली की पश्चिम पट्टी गौरी का पुरा रोड के किनारे कुए मे एक युवती की लाश क्षत विक्षत पडी है जिसकी सूचना ग्राम प्रहरी राम नयन पुत्र बाउर ग्राम पश्चिम पट्टी थाना अहरौला के आधार पर मु0अ0सं0 393/22 धारा 302,201 भादवि0 पंजीकृत किया गया। शव को कुए से निकाल कर थाना अहरौला पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। शव से सिर गायब था व हाथ पैर अलग-अलग थे। अपराध को गम्भीरता से लेते हुए अनावरण हेतु 05 टीमो का गठन कर जिम्मेदारी तय की गयी। जिसकी प्रतिदिन समीक्षा पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी।

घटना का अनावरणः-

➡ विवेचना के क्रम मे केदार प्रजापति व उनके घर वालों द्वारा शव के हाथ मे रक्षा व काला धागा, कंगन, नेलपालिश देखकर आंशिक रुप से पहचान किया गया था परन्तु चेहरा न होने के कारण आश्वस्त नही हुए मोबाइल नं0 के सीडीआर विश्लेषण के बाद पुलिस टीम को शक हुआ कि यह डेड बाडी उपरोक्त युवती के होने की प्रबल सम्भावना है। इसी क्रम मे गायब लडकी के प्रेमी की तलाश की गयी तो उसका मो0 नं0 बन्द था। दिनांक 19.11.2022 को समय 20.00 बजे थाना प्रभारी अहरौला ,सर्विलांस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त प्रिस यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी कठही थाना अहरौला को गजही पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

➡ अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल तालाब से मृतका का कटा हुआ सिर व एक लकडी का बोटा बरामद किया गया था तथा गन्नें के खेत के पास बरामदगी के दौरान अभियुक्त द्वारा पूर्व में (हत्या के दौरान) फेके गये 315 बोर के तमन्चे को उठाकर पुलिस टीम पर फायर किया गया जवाबी कार्यवाही मे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी जिससे अभियुक्त प्रिंस यादव घायल हो गया जिसको गिरफ्तार गया था।

घटना में सम्मिलित गिरफ्तार अभियुक्त-

आज दिनांक 22.11.2022 को प्रभारी निरीक्षक अहरौला योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा उपरोक्त घटना मे सम्मिलित अन्य अरोपियो के गिरफ्तारी के क्रम में मुखबीर की सूचना के आधार पर केदारपुर पुलिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ से 06 अभियुक्त क्रमशः- 1. प्रमिला यादव पत्नी राजाराम निवासी कठही थाना अहरौला जनपद आजमगढ 2. मन्जू यादव पुत्री राजाराम निवासी कठही थाना अहरौला जनपद आजमगढ 3. शीला यादव पत्नी रामा यादव निवासी असरफपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 4. सुमन पत्नी बृजेश साकिन असरफपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ 5. कमलावती पत्नी संतराज निवासी तोवा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 6. राजाराम पुत्र स्व0 जंगबहादुर निवासी कठही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को समय 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तो से ज्ञात हुआ किः-

➡ मुख्य अभियुक्त प्रिंस के माता पिता राजाराम व प्रमिला नें कहा कि आराधना से जाकर बात कर लो अगर वह साथ में रहनें को मान जाती है तो ठीक है नहीं तो उसे रास्ते से ही हटा दो नही तो जिन्दगी भर हमे और तुम्हे परेशान करेगी।

➡ सुमन पत्नी बृजेश निवासी असरफपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ जो कि मुख्य अभियुक्त के मामा की बहु थी. अभियुक्त का इससे अवैध सम्बन्ध था. जिसके कारण सुमन भी मृतका को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसीलिये हत्या मे अभियुक्त का सहयोग कर रही थी व हत्या की पूरी जानकारी सुमन को प्रिंस ने बतायी थी।

➡ मन्जू यादव पुत्री राजाराम मृतका आराधना की सहेली थी इसी के माध्यम से मृतका आराधना व अभियुक्त प्रिंस की मुलाकात हुयी थी। यह भी चाहती थी कि दोनो के सम्बन्ध बने रहे तथा एक साथ रहे। मृतका द्वारा प्रिंस के साथ रहने से मना करने पर रास्ते से हटाने की बात को लेकर यह भी सहमत थी।

➡ कमलावती पत्नी संतराज निवासी तोवा थाना निजामाबाद जो कि अभियुक्त की मामी है। अभियुक्त को घटना के पश्चात इसी ने अपने घर पर छुपने के लिये शरण दी थी।

➡ शीला यादव पत्नी रामा यादव निवासी असरफपुर थाना कप्तानगंज जो अभियुक्त की मामी है ने प्रिंस व सर्वेश को दो दिन तक अपनें घर में छिपाये रखा था।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 393/2022 धारा 302/201/120 बी/216 भादवि0 थाना अहरौला आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

1. प्रमिला यादव पत्नी राजाराम निवासी कठही थाना अहरौला जनपद आजमगढ
2. मन्जू यादव पुत्री राजाराम निवासी कठही थाना अहरौला जनपद आजमगढ
3. शीला यादव पत्नी रामा यादव निवासी असरफपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
4. सुमन पत्नी बृजेश साकिन असरफपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ
5. कमलावती पत्नी संतराज निवासी तोवा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
6. राजाराम पुत्र स्व0 जंगबहादुर निवासी कठही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़,

बरामदगी-

एक मोटरसाइकिल (हत्या में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह
उ0नि0 धनराज सिंह कां0 शिवसरन,
कां0 नागेन्द्र कुमार
कां0 मुकेश गुप्ता
म0कां0 उमा देवी
म0कां0 नेहा शुक्ला
चालक राजेश